प्रेस विज्ञप्ति
11.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर में एक बैंक धोखाधड़ी मामले में 18 कनाल भूमि (लगभग) और इमारत के रूप में 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जो मेसर्स निखा ऑर्नामेंट्स (12.5 मरला) के इस्फाक अहमद जरगर , मैसर्स जेके गोल्ड ज्वेलरी (14 कनाल 16 मरला) के खलील अहमद मुगल, मैसर्स रफ रफ टूर्स एंड ट्रैवल (1 कनाल 12 मरला) के मोहम्मद असरफ देव और मैसर्स सैयद टूर्स के मोहम्मद सैयद कौशर नियाज़ी और ट्रेवल्स (17 मरला),से संबंधित है।

ईडी ने मैसुमा पुलिस स्टेशन, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) द्वारा उपर्युक्त व्यक्तियों और अन्य लोगों के खिलाफ केनरा बैंक, बडशाह चौक शाखा, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) को 5.59 करोड़ रुपये की हानि के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। । इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा आरोप पत्र अभी तक अदालत के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है।

ईडी की जांच से पता चला कि 2014 के दौरान केनरा बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक एमएन डोले की मिलीभगत से 26 अन्य उधारकर्ताओं के साथ उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं ने गैर-मौजूद स्वामित्व के नाम पर जाली और नकली दस्तावेजों के आधार पर कुल 30 करोड़ रुपये का नकद ऋण लिया था। अंततः उधारकर्ताओं ने संस्थाओं और बाद में अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से ऋण की आय को स्थानांतरित कर अपने व्यवसाय के परियोजना उद्देश्य के विपरीत व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का उपयोग किया। एमएन डोले द्वारा दिए गए सभी ऋण 2016 से एनपीए बन गए और केनरा बैंक, बुधशाह चौक, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में रखे गए जनता के पैसों का भारी नुकसान (ऋण राशि और उस पर ब्याज) हुआ।

आगे की जांच जारी है।

****